



83

**IN THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH,**

**GWALIOR**

1731 / 3923-II-15

CASE NO. / 2015 Revision Petition

**Applicant/Petitioner**

Imrat Singh Yadav S/o Shri Ram Sahaye Yadav,  
Age- 45 years, Occu- Agriculturist R/o Village  
Palothar Tehsil & District Datia M.P.

V/s

**Respondent**

1. Shakuntala Devi W/o Jwala Singh
2. Ganga Singh S/o Jwala Singh
3. Nekpal So/ Jwala Singh
4. Kamla D/o Jwala Singh
5. Ilayichi D/o Jwala Singh
6. Kashmiri D/o Jwala Singh

All R/o Village Palothar District Datia M.P.

**Revision petition under section 50 of M.P.L.R.C. arising out of order Dated 26.10.2015 passed by S.D.O. Datia in case no. 17/B-121/2015-16, Hence this revision petition.**

**MAY IT PLEASE THIS HON'BLE COURT,**

The humble petitioner most respectfully begs to submit this application as under.

1. That, initially an complaint was made by the respondent wherein it was pleaded that, the respondents belongs to Schedule Tribe Category and their father being a member of Schedule tribe has no right to transfer the agriculture land bearing survey no. 1005, 1010 and 1011 situated at village Palother District Datia it was further pleaded that the petitioner has made the conspiracy and obtain a registered power of attorney from the father of the respondent and transfer the same in favour of the petitioners relative therefore, the aforesaid transaction is void.
2. That, on account of the same the learned S.D.O. has called the report regarding the matter consequently the R.I. has made the report wherein it was opened that the respondents father namely

3 पत्र लिखें

DEPT. DT  
श्री श्री श्री  
04-12-15

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R3923... 11/15... जिला ... दतिया .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3.3.16	<p>इस प्रकरण में दि. 18-12-15 को आवेदन आधिकारता के तर्क के आधार पर प्रकरण ग्रहण किया जाकर 3 माह का स्थगन दिया गया था।</p> <p>तदुपरान्त अनिवेदक आधिकारता दि. 7.1.16 को ऐसा किए जाने का विरोध किया है उन्होंने चारा 32 के अन्तर्गत स्थगन हटाने और प्रकरण अग्रसर करने का निवेदन किया है।</p> <p>भस्ती के अवलोकन से में पाता हूँ कि दि. 26.10.15 की SDO, दतिया की कार्यवाही के विरुद्ध आवेदन रा. म. में आया है वह एक प्रतिवेदन है, मा कि आदेश। यह प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया है अर्थात् प्रकरण में कलेक्टर के स्तर पर कार्यवाही शेष है।</p> <p>अतः मैं यह आवेदन इस स्तर पर रा. म. में पोषणीय नहीं पाता हूँ।</p> <p>कलेक्टर, दतिया अभ्यपत्र को मुझे हुए और अधिलेख, साक्ष्य आदि के प्रमाश में पहले निर्णय ले।</p> <p>फत्रवार पहले वही अपना पत्र</p>	

*(Handwritten signature)*

R. 3923/11/15

दिल्ली

स्थान तथा दिनांक

दिल्ली 11/15

कार्यवाही तथा आदेश

शुद्ध

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

3-3-16

शुद्ध

इसके साथ यह आवेदन, चुंकि पक्षकारों के पास अभी अधीनस्थ न्यायालय के समस्त अवसर उपलब्ध हैं और अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अभी प्रकाश में नहीं हुआ है, इसी प्रक्रम पर श. मं. से, धारा 32 के अन्तर्गत पुनर्विचार करते हुए, न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक विलंबित नहीं किए जाने के दृष्टिकोण से, श. मं. से अग्रसार करते हुए समाप्त किया जाता है।

आदेश पारित। पत्रकार सूचित है।  
श. मं. से।

  
सदस्य

3-3-16

M ✓